

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORFTY

FL 1729] No. 1729]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

संबार और सूचना प्रौद्योगिको मंत्रालय

(मूचना ग्रीकोगिको विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्लो, 27 अब्सूबर, 2009

का.आ. 2689(अ).— केंद्रीय सरकार सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 10) की घार 1 की उपचारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 अक्जूबर, 2009 को उस सारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपवंध प्रकृत होंगे।

मि: 9(16)/2004 -ईसी 1

एन. रावि शंकर, संयुक्त सांचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMAT®ON TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2689(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Information Technology (Amendment) Act, 2008 (10 of 2009), the Central Government hereby appoints the 27th day of October, 2009 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No.9(16)/2004-EC]

N. RAVI SHANKER, J. Socy.